



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1986/अग्रहायण 29, 1908

No. 51]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1986/AGRAHAYANA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation.

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम  
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued  
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and  
by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

**योजना मंत्रालय**

(मांडियकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1079 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सांचिकीय संगठन, सांचिकीय  
विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, का संशोधन करते हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

(i) इन नियमों को केन्द्रीय सांचिकीय संगठन, सांचिकीय विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1986 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

\*2. केन्द्रीय सांचिकीय संगठन, सांचिकीय विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, 1979 में, अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

**“अनुसूची”**

पद का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आय सीमा
अवधार मौर				अवधार पद	
पुस्तकालयाध्यक्ष	2*	सामान्य केन्द्रीय सेवा	1640-60-2600-८	लाग नहीं	30 वर्षों से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए
(दो)		ग्रुप “बी” ग्राजिविन	रो.-75-2900,		केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिवादकों अथवा
					आदेशों के अनुसार 5 वर्षों की छूट)

**Promotion:**

Assistant Chemist with 5 years regular service in the grade.

**Transfer on deputation :**

Officers under the Central/ State Governments :

- (a) (i) holding analogous posts; or  
    (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.
- (c) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion and confirmation :

1. Deputy Director General (Stores)—Chairman.
2. Director (A&V)—Member
3. Assistant Director General (Stores) Member

Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval, if, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation.

[No. A-22011/1/78-SI (DMS&PFA)  
SMT. A. KISHORE, Under Secy.

### सूचना और प्रसारण भंडारण

नई विलेटी, 21 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1095 :—राष्ट्रपति मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राकाशवाणी (समूह "ब" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं; अर्थात्,

1. (1) इन नियमों का संबंधित नाम प्राकाशवाणी (समूह "ब" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रत्यक्ष होंगे।

2. प्राकाशवाणी (समूह "ब" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसृती में स्पेशल रिपोर्टर (मार्नीटर) के पद में संबंधित कम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रधिकारियों के स्थान पर निम्नलिखित रक्ता जाग़ा, अर्थात् :

#### अनुसृती

पद का नाम	पदों की सं	कार्यक्रम	बेनेफाइट	जन्म पद	मेहरा में जाए गए वर्षों का	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवास सम्मान
1	2	3	4	5	6	7
25. स्पेशल रिपोर्टर (मार्नीटर)	8*	साधारण केन्द्रीय सेवा	630-30-740-35-	नयन	लागू नहीं है	लागू नहीं है
	* (1986)	समूह "ब" राजपत्रिन	810-व.रो.-35-881-			
	*	कार्यभार अनुसंचरित	40-1000-द.ग.-			
		के आधार	40-1200 द.			
		पर परिवर्तन				
		किया जा				
		सकता है।				

नीचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आवास परिवास की अवधि, जिसे कोई हाँ और गैरिक शर्ताएं प्रतिक्रिया की तरफ में लागू होंगी या नहीं

8	9	10
लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

भर्ती की पद्धति/मर्यादा सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की शैक्षणिक प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की शैक्षणिक प्रतिशतता

11

## प्रोन्नति द्वारा

12

## प्रोन्नति

आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे प्रामुख्यिक श्रेणी 1 किन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकते पर ऐसे प्रामुख्यिक श्रेणी 1 किन्होंने आवृत्तिगत श्रेणी 1 स्थानान्तरण के पदों पर कृष्ण मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पणी : दूरदर्शन के ऐसे श्रेणी 1 प्रामुख्यिक जो आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रबाजन पर दूरदर्शन में जाने को विकल्प देंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी भविष्यता

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में भव्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति

उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी महानिदेशालय,

वर्ष्यकृत निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी

आकाशवाणी का एक उप महानिदेशक

—अध्यक्ष

—महस्य

—मवस्य

14

भव्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करना भविष्यक नहीं है।

[मंद्या 9/23/82-एस, II/आकाशवाणी/वि(८)]  
काश्मीरी लाल, अधर गविव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

New Delhi, the 21st November, 1986

GSR 1095.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President here makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962 namely—

1. (1) These rules may be called the All India Radio

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group B Posts) Recruitment Rules, 1962, for Serial number 25 relating to the post of Reporter (Monitoring) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of adulated years for direct recruits	Age limit of service	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Reporter (Monitoring)	8* (1986)	General Central *Subject Service to variation dependent Non-on work-load	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-Group 'B' Gazetted Ministerial	Selection EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recrt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transf-er grades from which pro- motion/deputation/transfer	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
Not applicable	By promotion	Promotion : Stenographers Grade I of All India Radio/Doordarshan with 3 years' regular service failing which Stenographer Grade I with combined regular service of 8 years' in the posts of Stenographer Grade I and Stenographer Grade II.  Note : The Stenographers Grade I of Doordarshan will not be considered if they exercise option to join Doordarshan on bifurcation of the cadres of All India Radio/Doordarshan.	Group 'B' Departmental Promotion Committee Deputy Director General (Administration), Directorate General, All India Radio—Chairman. Joint Director, News Services Division, All India Radio—Member. One of the Deputy Directors General, All India Radio—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 9/23/82—S.II/AIR/B(A)]  
KASHMIRI LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1096.—राज्यपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सूचना सेवा (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राज्यपति में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त भूमि।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में—

(1) अनुसूचा 1 में, स्तंभ 1 में “विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय” के कार्यालय से संबंधित प्रविष्टि के सामने, पदनाम से संबंधित स्तंभ 2 में अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रदर्शन संघिकारी”;

(2) अनुसूचा 2 में, स्तंभ 1 में “विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय” के कार्यालय से संबंधित प्रविष्टि के सामने, पदनाम से संबंधित स्तंभ 2 में, अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि रखो जाएगी, अर्थात् :—

“फोल्ड प्रदर्शन संघिकारी”;

(3) अनुसूचा 3 में, पहले और दूसरे स्तंभ में, विज्ञापन प्रविष्टियों के प्रश्नात् अमांत्र निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ा जाएंगी, अर्थात् :—  
“विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक प्रबंधन”  
निदेशालय

टिप्पण : केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 नामक भूल नियम सा. का. नि. 217 तारीख 11 फरवरी, 1959 के अधीन अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

अम सं. अधिसूचना को सं. और तारीख

1. एफ. 7/1/60-सा.आई.एस., दिनांक 29-2-60
2. एफ. 7/2/60-सा.आई.एस., 7/2/61-सा.आई.एस.और
3. 7/3/61-सा.आई.एस., दिनांक 15-3-61
4. एफ. 8/6/63-सा.आई.एस., दिनांक 5-9-62
5. एफ. 7/1/62-सा.आई.एस., दिनांक 5-10-63
6. एफ. 9/5/63-सा.आई.एस., दिनांक 1-8-64
7. एफ. 9/2/63-सा.आई.एस., दिनांक 1-8-64
8. एफ. 8/12/63-सा.आई.एस., दिनांक 6-8-64
9. एफ. 7/12/62-सा.आई.एस., दिनांक 22-8-64
10. एफ. 8/12/63-सा.आई.एस., दिनांक 6-10-64
11. एफ. 1/5/64-सा.आई.एस., दिनांक 17-10-64
12. एफ. 1/8/64-सा.आई.एस., दिनांक 1-7-65
13. एफ. 4/25/63-सा.आई.एस., दिनांक 1-7-65
14. एफ. 9/1/62-सा.आई.एस., दिनांक 27-9-65
15. एफ. 1/10/65-सा.आई.एस., दिनांक 7-10-65